Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 17/02/2020

File No. SD/29/2019/STGJH/DEOTH/RU-III

सेवा में,

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, कच्छी रोड,
रांची (झारखण्ड) –834029

विषयः दिनांक 17–01–2020 को माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ हुई बैठक में दिनांक 17–01–2020 का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

Nic Himanshu 21-02-20

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- SD/29/2019/STGJH/DEOTH/RU-III)

श्रीमती सुरती देवी, पति- स्व. बकु मांझी, ग्राम व पोस्ट- हेसागठा, जिला- रामगढ़ (झारखंड) के अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 17.01.2020

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्रीमती सुरती देवी, पति- स्व. बकु मांझी, ग्राम व पोस्ट- हेसागठा, जिला- रामगढ़ (झारखंड) के अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के विषय में अभ्यावेदन दिया गया था। प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 24.09.2019 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया। मामले में दिनांक 26.11.2019 को स्मरण पत्र जारी किया गया।
2. प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 17.01.2020 को बैठक निर्धारित की गई। दिनांक 06.01.2020 को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को बैठक का नोटिस जारी किया गया।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय में दिनांक 17.01.2020 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री गोपाल सिंह, श्री उमेश सिंह, जीएम(कार्मिक) एवं श्री मनीष कुजूर, मैनेजर(कार्मिक) उपस्थित हुए।
4. आयोग द्वारा अभ्यावेदिका को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि उनके पति बकु मांझी तोपा कोलियरी में ड्रील मैन, श्रेणी-IV के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु 03.03.1998 को नौकरी में रहने के दौरान हो गई। उसके बाद उनके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया लेकिन सीसीएल के द्वारा नौकरी प्रदान नहीं की गई। उस समय उनका पुत्र नाबालिग था और उनकी उम्र 35 से अधिक होने के कारण नौकरी नहीं दी गई। इसके बाद उनके द्वारा उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया। उच्च न्यायालय आदेश के बाद उन्हें आर्थिक मुआवजे के रूप में प्रतिमास निर्धारित राशि (Monetary Compensation)प्रदान की जा रही है। एक वर्ष बाद आर्थिक मुआवजे के रूप में मिलनेवाली मासिक राशि भी बंद हो जाएगी और नौकरी भी नहीं प्रदान की गई है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

5. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्व. बकु मांझी तोपा कोलियरी में ड्रील मैन के रूप में कार्यरत थे। नौकरी में रहने के दौरान वर्ष 1998 में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी सुरती देवी के द्वारा अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया था लेकिन उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। कंपनी के प्रावधानों के अनुसार 35 वर्ष से अधिक उम्र होने पर नौकरी नहीं दी जा सकती है इसलिए उन्हें आर्थिक मुआवजा का प्रस्ताव दिया गया। पति की मृत्यु के समय इनके बेटे की उम्र भी 15 वर्ष कम था अतः उसे भी नौकरी नहीं दी जा सकती थी। वर्ष 2017 में श्रीमती सुरती देवी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2019 के अनुसार राष्ट्रीय कोल वेतन अनुबंध के अनुसार आर्थिक मुआवजा श्रीमती सुरती देवी को 22 लाख 77 हजार रुपये सितंबर 2019 में सीसीएल द्वारा प्रदान किए गए हैं तथा प्रतिमाह 26 हजार 292 रुपये प्रति माह बिना काम किए दिए जा रहे हैं।
6. अभ्यावेदक द्वारा बताया गया कि आर्थिक मुआवजा पुत्र के नाबालिग रहने की अवधि तक दिया जाता है, बालिग होने के बाद तो नौकरी दी जानी चाहिए।
7. सीसीएल के जीएम(कार्मिक) ने बताया कि कंपनी के प्रावधान के तहत कार्मिक की मौत होने के पश्चात पुत्र की उम्र अगर 15 वर्ष से अधिक है तो उसे रोस्टर में शामिल किया जाता है और 18 वर्ष के बाद उसे नौकरी प्रदान किया जाता है। जिसके पास वांछित योग्यता नहीं होती है उसे 60 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह मुआवजा देने का प्रावधान है। बकु मांझी की मौत के समय उनके पुत्र का उम्र 15 वर्ष से कम था इसलिए वह नौकरी के लिए योग्य नहीं था और सुरती देवी की उम्र भी 35 वर्ष से अधिक थी इसलिए उनकी भी नौकरी के लिए पात्रता नहीं थी। चूंकि कार्मिक की मौत के समय अभ्यावेदिका के पास वांछित योग्यता नहीं थी अतः नौकरी नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 1998 से मुआवजे की राशि दी गई है और अब प्रतिमाह 26,292 रुपये मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है। यह राशि 60 वर्ष की उम्र तक प्रदान की जाएगी।
8. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की :-
    - प्रकरण में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा श्रीमती सुरती देवी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों के तहत नौकरी देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

[signature] 18.07.2020

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- SD/29/2019/STGJH/DEOTH/RU-III)

श्रीमती सुरती देवी, पति- स्व. बकु मांझी, ग्राम व पोस्ट- हेसागठा, जिला- रामगढ़ (झारखंड) के अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति के विषय में अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2020 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची -

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष
(2.)	श्री के. तऊथांग,	संयुक्त सचिव
(3.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(4.)	श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(5.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी**

(1.)	श्री गोपाल सिंह,	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(2.)	श्री उमेश सिंह,	जीएम(कार्मिक)
(3.)	श्री मनीष कुजूर,	मैनेजर(कार्मिक)

- **अभ्यावेदिका**

  श्रीमती सुरती देवी